

**न्यायालय — सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला—बालाघाट, (म.प्र.)**

आप.प्रकरण.क.—443 / 2007

संस्थित दिनांक—17.07.2007

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—मलाजखंड,

जिला—बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — अभियोजन

// **विरुद्ध** //

रमेश श्रीवास पिता कुंवरसिंह, उम्र 35 वर्ष, जाति नाई,

निवासी—ग्राम सायल, थाना मलाजखंड,

जिला—बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — आरोपी

// **निर्णय** //

(आज दिनांक—17 / 07 / 2014 को घोषित)

1— आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—304(ए) के तहत आरोप है कि उसने दिनांक—07.06.2007 को समय 18:00 बजे ग्राम बंजारी टोला मंदिर आरक्षी केन्द्र मलाजखंड अंतर्गत वाहन ट्रेक्टर क्रमांक—एम.पी.50 / ए.0211 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मृतक अनुज साहू की मृत्यु कारित की, जो अपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती।

2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि घटना दिनांक—07.06.2007 को समय 18:00 बजे ग्राम बंजारी टोला मंदिर आरक्षी केन्द्र मलाजखंड अंतर्गत वाहन ट्रेक्टर क्रमांक—एम.पी.50 / ए.0211 में मृतक अनुज साहू बैठकर जा रहा था, उक्त ट्रेक्टर के चालक द्वारा वाहन को तेज गति से चलाया, जिससे उक्त ट्रेक्टर में बैठा मृतक अनुज साहू ट्रेक्टर से गिर गया तथा ट्रेक्टर का पिछला चक्का मृतक के ऊपर से चला गया, जिसे ईलाज हेतु एम.सी.पी. अस्पताल मलाजखंड ले जाया गया, जहाँ ईलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। उक्त घटना की लिखित सूचना एम. सी.पी. अस्पताल द्वारा थाना मलाजखंड में दिये जाने पर पुलिस द्वारा मृतक अनुज साहू की मृत्यु के संबंध में मर्ग इंटीमेशन क्रमांक—20 / 07 तैयार कर नक्शा पंचायतनामा तैयार किया गया, मृतक के शव का शव परीक्षण करवाया गया तथा आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक—53 / 2007, धारा—304(ए) भा.द.वि. के अंतर्गत पंजीबद्ध करते हुये प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। पुलिस के द्वारा विवेचना के दौरान घटना स्थल का मौका नक्शा तैयार किया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये, दुर्घटना कारित वाहन

मय दस्तावेज के जप्त कर, वाहन का मैकेनिकल परीक्षण करवाया गया, आरोपी को गिरफ्तार किया गया तथा सम्पूर्ण विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपी को भा.द.वि. की धारा-304(ए) के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपी ने धारा-313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की गई है।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:—

1. क्या आरोपी ने दिनांक-07.06.2007 को समय 18:00 बजे ग्राम बंजारी टोला मंदिर आरक्षी केन्द्र मलाजखंड अंतर्गत वाहन ट्रेक्टर क्रमांक-एम.पी.50/ए. 0211 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मृतक अनुज साहू की मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती ?

विचारणीय बिन्दु पर सकारण निष्कर्ष :-

5— कोमल (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है आरोपी को जानता है, घटना लगभग 4-5 साल पूर्व बंजारीटोला की है। घटना दिनांक को वे लोग ट्रेक्टर ट्राली में बैठकर जा रहे थे तो आरोपी ने अचानक ब्रेक मारा, जिससे उसका दामाद अनुजलाल ट्राली के नीचे छिटक गया, जिससे उसके ऊपर से ट्राली का चक्का चला गया। अनुजलाल को उक्त ट्रेक्टर में बैठाकर मलाजखंड अस्पताल ले गये थे, जहाँ उसकी मृत्यु हो गई थी। उक्त दुर्घटना ड्राइवर की गलती से हुई थी। पुलिस ने उसके समक्ष प्रदर्श पी-1 का मौका नक्शा तथा मृतक का पंचायतनामा प्रदर्श पी-2 तैयार किया था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि दुर्घटना के समय ट्रेक्टर में 20-25 लोग बैठे थे। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि आरोपी उस समय ट्रेक्टर को सावधानी पूर्वक चला रहा था और ट्रेक्टर के ब्रेक मारने पर गाड़ी स्लीप होने के कारण मृतक अनुज गाड़ी से गिर गया था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि आरोपी ने बैल को बचाने के चक्कर ब्रेक मारा, जिससे मृतक अनुज ट्राली से गिर गया था। इस प्रकार साक्षी ने अपनी साक्ष्य में केवल इस तथ्य का समर्थन किया है कि घटना के समय आरोपी के द्वारा ट्रेक्टर को चलाया जा रहा था और मृतक अनुज ट्राली से गिर गया था, जिस कारण उसकी मृत्यु हो गई।

6— सुगनबाई (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को जानती है। घटना लगभग 3 वर्ष पूर्व बंजारीटोला की है। वे लोग बाजार से

अपने घर ट्रेक्टर में जा रहे थे, जिसे आरोपी चला रहा था। आरोपी ने घटना स्थल पर अचानक ब्रेक मारा, जिससे उसका पति गिर गया और उसके ऊपर से ट्राली का चक्का चला गया। घटना स्थल से हास्पिटल ले जाया गया जहां उसकी मृत्यु हो गयी। उक्त दुर्घटना ड्रायवर की गलती से हुई थी। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान ली थी। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि घटना दिनांक को घटना स्थल पर बाजार का दिन होने के कारण अधिक भीड़ थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि ट्रेक्टर धीमी गति से चल रहा था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि आरोपी की गलती से मृतक अनुज की मृत्यु नहीं हुई थी। इस प्रकार साक्षी ने अपनी साक्ष्य में केवल इस तथ्य का समर्थन किया है कि घटना के समय आरोपी के द्वारा ट्रेक्टर को चलाया जा रहा था और मृतक अनुज ट्राली से गिर गया था, जिस कारण उसकी मृत्यु हो गई। यद्यपि साक्षी ने आरोपी की गलती से उक्त दुर्घटना में मृतक अनुज की मृत्यु होने का समर्थन नहीं किया है।

7— रायसिंग(अ.सा.3) ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि वह आरोपी तथा मृतक को पहचानता है। उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान नहीं ली थी। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि घटना दिनांक को मृतक सहित गांव के अन्य लोग ट्रेक्टर में बैठकर जा रहे थे। किन्तु साक्षी ने उक्त ट्रेक्टर को तेज गति व लापरवाही से चलाये जाने से इंकार किया है। साक्षी ने घटना के समय ट्रेक्टर से अनुज के नीचे गिर जाने और उसके ऊपर से ट्रेक्टर ट्राली चले जाने से उसकी मृत्यु होने के तथ्य को स्वीकार किया है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि घटना के समय बाजार का दिन व भीड़-भाड़ होने से रास्ते में जानवर होने से उनको बचाने के लिए आरोपी उक्त वाहन को आगे बढ़ा रहा था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि घटना के समय मृतक अनुज ट्राली के पल्ले के ऊपर बैठा था तथा वह कैसे गिर नहीं बता सकता। आरोपी के गाडी चलाने से मृतक अनुज की मृत्यु नहीं हुई। इस प्रकार साक्षी ने अपनी साक्ष्य में केवल इस तथ्य का समर्थन किया है कि घटना के समय आरोपी के द्वारा ट्रेक्टर को चलाया जा रहा था और मृतक अनुज ट्राली से गिर गया था, जिस कारण उसकी मृत्यु हो गई। यद्यपि साक्षी ने आरोपी की गलती से उक्त दुर्घटना में मृतक अनुज की मृत्यु होने का समर्थन नहीं किया है।

8— रमेश (अ.सा.4) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी तथा मृतक को पहचानता है। उसके समक्ष आरोपी से पुलिस ने एक ट्रेक्टर मय दस्तावेज के जप्त की थी, जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-4 पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी को गिरफ्तार किये थे, गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-5 पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि आरोपी ने पुलिस को कब

गिरफ्तार किया और उससे क्या जप्त किया, वह नहीं बता सकता। उसने पुलिस के कहने पर उक्त दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिया था। इस प्रकार साक्षी ने जप्ती अधिकारी की गई कार्यवाही का समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है।

9— डाक्टर डी.बैनर्जी (अ.सा.5) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-10.07.2007 को ताम्र परियोजना मलाजखंड में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत था। उक्त दिनांक को प्लेट क्रमांक-595 और 596 दिनांकित 07.06.2007 अवलोकनार्थ प्रस्तुत किये जाने पर एकसरे प्लेट क्रमांक-595 में पाया कि घायल अनुज साहू के कुल्हे की हड्डी बहुखण्ड अस्थि भंग था तथा उक्त हड्डी में बहुत सारे टुकड़े होना प्रतीत हो रहा था। कुल्हे की हड्डी और रीड की हड्डी का जोड़ पृथक हो गया था। एकसरे प्लेट क्रमांक-596 का परीक्षण किये जाने पर बाएं तरफ के कुल्हे की हड्डी उसके स्थान से हट कर रीड की हड्डी के पीछे की तरफ अव्यवस्थित हो गई थी। उक्त परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-6 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने मृतक अनुज के मृत्यु पूर्व चिकित्सीय परीक्षण में उसे कुल्हे की हड्डी व रीड की हड्डी अव्यवस्थित होने के आधार पर घोर उपहति कारित होने की पुष्टि की है।

10— मृतक अनुज का शव परीक्षण करने वाले डाक्टर एन.मेश्राम (अ.सा.7) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-08.06.2007 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बिरसा में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को आरक्षक कुंवर क्रमांक-914 के द्वारा मृतक अनुज साहू के शव को परीक्षण हेतु लाये जाने पर उसने शव का परीक्षण किया, जिसमें मृतक की मृत्यु का कारण सिंकोप(दिल का सदमा) है, जो कि बांयी किडनी में चोट तथा पेट की खून की नली के फटने के फलस्वरूप हुये अत्यधिक रक्त स्राव होने के कारण हुआ। उक्त शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-6 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने मृतक अनुज को घटना के समय प्राण घातक चोट आने से उसकी मृत्यु होने की पुष्टि की है।

11— अनुसंधानकर्ता सुरेश विजयवार (अ.सा.8) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-07.06.2007 को थाना मलाजखंड में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को रिपोर्टकर्ता कपूरदास मांगरे एम.सी.सी. अस्पताल मलाजखंड के डाक्टर टी.के.साहू द्वारा लिखित तहरीर लाकर पेश किया गया था, जिस पर मर्ग क्रमांक-20/07, धारा-174 जा.फौ. मृतक अनुज साहू निवासी चकरवाही की एक्सीडेंट से गिरने से ईलाज के दौरान मृत्यु होना लेख होने पर मर्ग कायम किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक-08.06.2007 को एम.सी.सी. अस्पताल मलाजखंड की मरचुली जाकर मर्ग जांच कार्यवाही किया। मर्ग जांच कार्यवाही हेतु साक्षियों के सफिना फार्म प्रदर्श पी-2 जारी किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा साक्षी उमाशंकर टेम्भरे, अमृतलाल साहू, तेजराम साहू, कोमल साहू तथा

सुन्दरलाल बोपचे के समक्ष शव का निरीक्षण कर, नक्शा पंचायतनामा प्रदर्श पी-1 तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। शव पंचनामा कार्यवाही के पश्चात् मृतक का शव परीक्षण फार्म भरकर आरक्षक कुवर कर्मांक-914 के माध्यम से शव परीक्षण हेतु भेजा गया था। शव परीक्षण फार्म प्रदर्श पी-12 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। मर्ग जांच पर आरोपी ट्रेक्टर चालक रमेश के विरुद्ध दिनांक-11.06.2007 को प्रथम सूचना प्रतिवेदन क्रमांक-53/07, धारा-304ए भा.द.वि. प्रदर्श पी-9 पंजीबद्ध किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही साक्षी कोमल साहू की निशानदेही पर घटना स्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-1 तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक-25.06.2007 को साक्षी राजेश मरकाम, रायसिंह, सुगनबाई तथा कोमल साहू के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया था। दिनांक-02.07.2007 को ट्रेक्टर क्रमांक-एम.पी.50/ए.0211, ट्राली क्रमांक-एम.पी.50/ए.0211 मय दस्तावेज के आरोपी के द्वारा पेश करने पर साक्षियों के समक्ष जप्त किया था, जो प्रदर्श पी-4 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही आरोपी को साक्षियों के समक्ष गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-5 के अनुसार गिरफ्तार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक-02.07.2007 को जप्तशुदा वाहन का मैकेनिकल परीक्षण मैकेनिक छोटेलाल मरकाम से करवाकर रिपोर्ट प्राप्त किया था। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसकी साक्ष्य का महत्वपूर्ण रूप से खण्डन नहीं किया गया है। साक्षी ने अपनी साक्ष्य में मामले में की गई सम्पूर्ण अनुसंधान कार्यवाही को समर्थनकारी साक्ष्य के रूप में प्रमाणित किया है।

12— छोटेलाल(अ.सा.6) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि उसे 20 वर्षों से वाहन चलाने एवं सुधारने का अनुभव है। उसके द्वारा दिनांक-02.07.2007 को ट्रेक्टर क्रमांक-एम.पी.50/ए.0211 का मैकेनिकल परीक्षण करने हेतु दिया गया था। उक्त ट्रेक्टर की ट्राली का भी मैकेनिकल परीक्षण किया गया था। उक्त वाहन चालू हालत में था तथा उसके पार्टस ठीक हालत में पाया था। उक्त परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-7 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष की ओर से उसके कथन का महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है। साक्षी ने घटना के समय दुर्घटना कारित वाहन के मैकेनिकल मुलाहिजा में वाहन में यांत्रिकी खराबी न होने तथा वाहन चालू हालत में होने की पुष्टि की है।

13— प्रकरण में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत महत्वपूर्ण व चक्षुदर्शी साक्षीगण ने घटना के समय आरोपी के द्वारा दुर्घटना कारित ट्रेक्टर को चलाये जाने और ट्रेक्टर में मृतक अनुज के फिसलकर गिर जाने व ट्राली में दब जाने से उसकी मृत्यु होने की पुष्टि अपनी साक्ष्य में की है, किन्तु उक्त दुर्घटना में आरोपी की गलती से मृत्यु न होना भी स्वीकार किया है। किसी भी साक्षी ने अपनी साक्ष्य में स्पष्ट रूप से आरोपी के द्वारा घटना के समय दुर्घटना कारित ट्रेक्टर को तेजी व लापरवाही से चलाये जाने के संबंध

में कथन नहीं किये हैं, जिस साक्षीगण के द्वारा आरोपी की गलती से दुर्घटना होना अपने मुख्य परीक्षण में प्रकट किया गया है उन्होंने प्रतिपरीक्षण में आरोपी की दुर्घटना में कोई गलती न होना भी स्वीकार किया है। इस प्रकार आरोपी के द्वारा वाहन को तेजी या लापरवाही से चलाये जाने अथवा दुर्घटना में उसकी गलती होने के संबंध में किसी भी साक्षी के कथन स्थिर नहीं रहे हैं।

14— अभियोजन साक्षीगण की सम्पूर्ण साक्ष्य से यह परिस्थिति एवं तथ्य प्रकट होते हैं कि घटना के समय आरोपी के द्वारा ट्रेक्टर व ट्राली में बाजार का दिन होने से गांव के लोगों व मृतक अनुज को बैठाकर ले जाया जा रहा था और आरोपी के द्वारा उक्त वाहन को चलाये जाते समय मृतक अनुज ट्राली के पल्ले में बैठा हुआ था तभी अचानक आरोपी ने वाहन का ब्रेक लगाया, जिस कारण मृतक अनुज फिसलकर ट्राली से नीचे गिर गया और उसके ऊपर से ट्राली निकल गई, जिस कारण उसे प्राण घातक चोट कारित हुई। वास्तव में उक्त परिस्थिति में आरोपी को ही उक्त घटना के लिए पूर्णतः उत्तरदायी ठहराना उचित प्रतीत नहीं होता है, बल्कि स्वयं मृतक अनुज ने दुर्घटना कारित वाहन ट्रेक्टर ट्राली के पल्ले में बैठकर सम्यक तत्परता व उचित सावधानी नहीं बरती, जिस कारण वह फिसलकर नीचे गिर गया। यदि आरोपी की कथित उतावलेपन या उपेक्षा से घटना होती तो मृतक के अलावा ट्राली में बैठे अन्य लोग भी उक्त दुर्घटना का शिकार होते।

15— विधिशास्त्र के अनुसार सिविल एवं दांडिक विधि के अंतर्गत उपेक्षा को अलग-अलग नजरिये से देखा जाता है। साधारण उपेक्षा या लापरवाही की तुलना में दांडिक मामले के अंतर्गत उपेक्षा को उच्च श्रेणी के मापदंड से देखा जाना होता है। हो सकता है कि किसी उपेक्षा के कृत्य हेतु व्यक्ति सिविल विधि के अंतर्गत उत्तरदायी ठहराया जाये किन्तु उसी आधार पर उसे दांडिक मामले में अभियोजित नहीं किया जा सकता। दांडिक मामले में आरोपी के घोर उपेक्षा को साबित किया जाना आवश्यक है। मृतक की मृत्यु आरोपी के कृत्य अथवा लोप का सीधा परिणाम होना चाहिए, साथ ही आरोपी के विरुद्ध कथित अपराध सिद्ध होने के लिए अपेक्षित उपेक्षा इतना उच्च होना चाहिए कि वह "घोर उपेक्षा" या "असावधानी" के रूप में वर्णित की जा सकती हो। उक्त के प्रकाश में कथित उपेक्षा से आरोपी को दांडिक मामले में मृतक अनुज की मृत्यु हेतु उत्तरदायित्व ठहराया जाना विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के विपरीत होगा। इस प्रकार उक्त विश्लेषण के उपरांत यह प्रकट होता है कि अभियोजन मामले में संदेहास्पद परिस्थितियाँ प्रकट होती हैं, जिन्हें अभियोजन ने दूर नहीं किया है।

16— उपरोक्त संपूर्ण विवचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी द्वारा उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान में दुर्घटना कारित वाहन को

उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मृतक अनुज साहू को वाहन से गिराकर मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती। अतएव आरोपी को धारा-304(ए) भा.द.वि. के अंतर्गत दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

17— आरोपी के जमानत मुद्दलके भार मुक्त किये जाते हैं।

18— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन ट्रेक्टर क्रमांक-एम.पी.50/ए.0211 एवं ट्राली क्रमांक-एम.पी.50/ए.0212 मय दस्तावेज के सुपुर्ददार तरुण कुमार वर्मा पिता प्रमोद कुमार वर्मा को सुपुर्दनामा पर प्रदान किया गया है। अपील अवधि पश्चात उक्त सुपुर्दनामा उसके पक्ष में निरस्त समझा जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट